कुलसचिव कार्यालय
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

संख्याः 468/उ0अ0फा0वि0वि0/2015/239/15 दिनांक :: 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय–ज्ञाप (अनुस्मरण)

मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार निर्गत आदेश कार्यालय–ज्ञाप सं0–30/उ0अ0फा0यू0/रजि0/239/15 दिनांक 28–04–2015 (छायाप्रति सन्मुख पृष्ठ पर) द्वारा समस्त प्राध्यापकों को सूचित कराया गया था कि किसी सेमिनार/कान्फ्रेंस/सिम्पोजियम/ओरिएंटेशन/लेक्चर प्रोग्राम आदि में प्रतिभाग करने की अनुमति हेतु प्रोग्राम की निर्धारित तिथि से न्यूनतम 10 कार्यदिवस पूर्व उचित माध्यम के द्वारा आवेदन करें। विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग/सम्मिलित होने की अनुमति की प्राप्ति के पश्चात् ही मुख्यालय से बाहर जायें, परन्तु यह देखने में आया है कि इस आदेश का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है।

अतः मुझे आपसे पुनः अनुरोध करने निदेश हुआ है कि उक्त आदेश दिनांक 28–04–2015 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(डॉ0 नाज़िम हुसैन अल जाफरी)
कुलसचिव।

संख्याः–468 (1)/उ0अ0फा0वि0वि0/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्राध्यापक।
2– निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
3– वेब मास्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4– गार्ड फाइल।

(डॉ0 नाज़िम हुसैन अल जाफरी)
कुलसचिव।